203

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

नगर विकास एवं आवास विभाग 19 JUL 2011 बिहार, पटना

No. L.A. Sur./ 148 Dated:- 13/07/11

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sir,

Audit Report No. **163/11-12** on the accounts of **Nagar Parishad, Araria** for the period **from 2008-09 to 2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

13/7/11

Sr. Audit Officer/Surcharge

Encl:- As above

SS(J)

4887/18 19/7/11

उप सचिव (डॉ. राजीव) 19.7.11

124/SS(J) 19.07.11

S.O.

20/7/11

202

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 163/2010–11
नगर परिषद, अररिया

1. **प्रस्तावना :–**

नगर परिषद अररिया के वर्ष 2008–09 से वर्ष 2009–10 तक के लेखाओं का नमूना लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.02.2011 से दिनांक 05.03.2011 की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन :–**

क0 सं0	अध्यक्ष (मुख्य पार्षद)	अवधि
(i)	श्रीमति अंजनी जायसवाल	दिनांक 01.04.08 से दिनांक 05.08.09 तक
(ii)	श्रीमती अफसाना परबीन	दिनांक 06.08.2009 से दिनांक 31.03.10 तक

क0 सं0	उपाध्यक्ष (उप मु0पार्षद)	अवधि
(i)	श्रीमती अफसाना परबीन	दिनांक 01.04.08 से दिनांक 05.08.09 तक
	खाली रहा	दिनांक 06.08.2009 से दिनांक 01.12.09 तक
(ii)	श्री पारस कुमार भगत	दिनांक 02.12.2009 से दिनांक 31.03.10 तक

क0 सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
(i)	श्री सूरज कुमार सिन्हा	दिनांक 01.04.08 से दिनांक 03.06.2008 तक
(ii)	श्री जयकुमार द्विवेदी	दिनांक 04.06.2008 से दिनांक 16.07.2008 तक
(iii)	श्री मयंक कुमार सिन्हा	दिनांक 17.07.2008 से दिनांक 30.09.09 तक
(iv)	श्री अनिल कुमार	दिनांक 01.10.09 से दिनांक 31.03.10 तक

3. **लेखापरीक्षा की परिसीमा :–**

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जॉच की सूची परिशि ट – I एवं असंधारित अथवा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशि ट –II पर दी गयी है।

4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :–**

लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं के निष्तारण के लिए नगर परिषद द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इन प्रतिवेदनों में लम्वित कंडिकाओं के निष्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाया जाय।

5. **अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियॉं :–**

क0 सं0	कंडिका सं0	राशि (रूपये में)	विवरण
1	9 (i)	27,41,155.00	आई0डी0एल0एम0टी0 योजना एवं बी0आर0जी0एफ0 योजना की राशि का विचलन

(201)

2	11(i)	4,59,802.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान में स्वीकृत योजना के बदले दूसरी योजना का कार्यान्वयन
3	11(i)	59,50,849.00	बिना जिला योजना समिति के अनुमोदन के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के योजना का कार्यान्वयन
4	13	78,39,652.00	आई0डी0एस0एम0टी0 योजना में स्वीकृत योजना के बदले दूसरी योजना का कार्यान्वयन
5	14	4,57,852.00	वसूली गयी राशि का अंकेक्षण के दौरान जमा
6	17	80,000.00	वाहन सेवा शुल्क की राशि अंकेक्षण के दौरान जमा
7	19	1,53,250.00	बिना नक्सा पास कराये मकान बनाने पर नगर परिषद को क्षति
8	20	22,74,805.00	सरकारी भवनों पर बकाया कर
9	23	49,44,001.00	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं।
10	24	2,68,817.00	विभिन्न योजना से काटी गयी स्वामित्व की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं।
11	26 से 35	4,62,532.00	विभिन्न योजना में अधिक/अनियमित व्यय

6. **वित्तः—**

नगर परिषद केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के आय से वित्त सम्पोषित होता है। वर्ष 2008—09 एवं वर्ष 2009—10 के लिए नगर परिषद के द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया जिसके कारण वार्षिक आय एवं व्यय की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं की जा सकी। वर्ष 2008—09 एवं वर्ष 2009—10 में संधारित विभिन्न रोकड़बहियों के अनुसार आय एवं व्यय की स्थिति निम्नलिखित थीः—

(क) **कोषागार खाताः—**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008—09 (रूपये में)	वर्ष 2009—10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष	82,89,500.00	2,60,89,385.84
2	वर्ष में प्राप्ति :—		
(i)	सरकारी अनुदान :—		
(क)	वेतन अनुदान	17,69,830.00	13,21,617.00
(ख)	नाला निर्माण/जिर्णोद्धार	49,55,000.00	शून्य
(ग)	सड़क निर्माण/जिर्णोद्धार	1,23,55,000.00	शून्य
(घ)	ट्यूवेल के लिए	1,27,040.00	शून्य
(ड.)	कम्प्यूटर के लिए	2,50,000.00	शून्य
(च)	निर्वाचित प्रतिनिधियों का भत्ता	1,35,600.00	1,35,600.00
(छ)	मैचिंग अनुदान	शून्य	55,05,439.00
(ज)	द्वादश वित्त आयोग अनुदान	शून्य	1,44,23,716.00
(झ)	स्वयं के श्रोतों से आय	35,07,799.00	46,05,934.00
	कुल —	2,31,00,269.00	2,59,92,306.00
3	कुल आय (1+2)	3,13,89,769.84	5,20,81,691.84
4	व्यय :—		
(i)	स्थापना एवं विविध व्यय	53,00,384.00	88,39,308.00
(ii)	सड़क निर्माण/जिर्णोद्धार	शून्य	1,04,13,316.00
(iii)	नाला निर्माण एवं जिर्णोद्धार	शून्य	37,74,357.00
(iv)	निर्वाचित प्रतिनिधियों का भत्ता	शून्य	1,95,000.00
(v)	बैंक को सवसीडी	शून्य	17,40,000.00
	कुल रू0	53,00,384.00	2,49,61,981.00

5	अन्तशेष	2,60,89,385.84	2,71,19,710.84

(ख) **स्व0जय0स्व0 रोजगार योजना :–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष	24,28,353.00	18,64,601.00
2	वर्ष में प्राप्तिः–		
(क)	सूद से प्राप्त	21,248.00	33,482.00
(ख)	कोषागार खाता से स्थानान्तरण	3,28,539.00	शून्य
	कुल –	3,49,787.00	33,482.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	27,78,140.00	18,98,083.00
4	व्यय :–		
(क)	महिला प्रशिक्षण केन्द्र को भुगतान	5,85,000.00	1,30,000 प्रशासनीक व्यय के अंतर्गत कुर्सी टेवूल की खरीद
(ख)	कर्मचारियों का वेतन भुगतान	3,28,539.00	16,98,500.00 सड़क एंव नाला निर्माण
	कुल –	9,13,539.00	18,28,500.00
5	अन्तशेष रू0	18,64,601.00	69,583.00

(ग) **लघु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजनाः–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष :–		
(क)	कोषागार खाता में	20,00,000.00	20,00,000.00
(ख)	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 30420100000796 में स्टेट बैंक खाता सं0 11432642298 से दिनांक 19.07.08 को स्थानान्तरीत	44,84,100.00	10,90,014.00
	कुल –	64,84,100.00	30,90,014.00
2	वर्ष में प्राप्ति बैंक सूद	39,236.00	58,965.00 + 7,376.00 = 66,341.00
3	कुल आय (1+2)	65,23,336.00	31,56,355.00
4	व्ययः–		
(क)	योजना पर	16,15,849.00	शून्य
(ख)	हूपर, टीपर एवं हील बैरोज की खरीद	18,17,473.00	शून्य
	कुल –	34,33,322.00	शून्य
5	अन्तशेष :–		
(क)	कोषागार खाता में	20,00,000.00	20,00,000.00
(ख)	बैंक ऑफ बड़ौदा में	10,90,014.00	11,56,355.00
	कुल रू0 –	30,90,014.00	31,56,355.00

(घ) **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान (बी0आर0जी0एफ0):–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष :–	शून्य	11,18,366.00
2	वर्ष में प्राप्ति		
(क)	जिला परिषद अररिया से प्राप्त	42,51,731.00	67,73,900.00
(ख)	कोषागार से स्थानान्तरण (स्थापना व्यय के लिए)	11,47,846.00	8,16,975.00
(ग)	एन0ओ0सी0 से प्राप्त (स्वयं का आय)	1,60,000.00	शून्य
(घ)	बैंक से सूद	25,435.00	63,677.00

199

	कुल –	55,85,012.00	76,54,552.00
3	कुल आय (1+2)	55,85,012.00	87,72,918.00
4	व्यय :–		
(क)	स्थापना व्यय	11,47,846.00	10,85,817.00
(ख)	योजना पर व्यय	31,96,800.00	58,39,310.00
(ग)	स्वयं के आय से व्यय	1,22,000.00	4,35,000.00 कबीर अन्तयेष्टी योजना 2,19,840.00 द्वादश वित्त आयोग के तहत सोडियम लाइट की खरीद
	कुल –	44,66,646.00	75,79,967.00
5	अन्तशेष :–		
(क)	पि0क्षे0अनुदान	10,80,366.00	11,92,951.00
(ख)	स्वय का आय	38,000.00	शून्य
		11,18,366.00	11,92,951.00

(ड.) **बैंक आफ बड़ौदा खाता सं0 30420100001002 जेनरल खाता :–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	1,42,525.00
2	वर्ष में प्राप्ति :–		
(क)	जिला से कबीर अनत्येष्टी योजना में प्राप्त	2,17,500.00	8,70,000.00
(ख)	राज्य सरकार से मैंचिग ग्रान्ट	5,33,200.00	शून्य
(ग)	द्वादश वित्त आयोग अनुदान	12,72,849.00	शून्य
(घ)	स्वयं का आय	49,000.00	7,53,600.00
(ड.)	बैंक से सूद प्राप्त	24,445.00	13,843.00
(च)	कोषागार से स्थानान्तरण द्वारा	शून्य	5,20,634.00
	कुल –	20,96,994.00	21,58,077.00
3	कुल आय (1+2)	20,96,994.00	23,00,602.00
4	व्यय :–		
(क)	कबीर अन्त्येष्टी योजना	2,17,500.00	शून्य
(ख)	द्वादश वित्त अयोग अनुदान के तहत स्ट्रीट लाईट की खरीद	13,84,989.00	शून्य
(ग)	नाला का जिर्णोद्धार	1,85,045.00	45,285.00
(घ)	विविध व्यय	1,66,935.00	2,66,286.00
(ड.)	कोषागार लेखा से प्राप्त स्थापना व्यय	शून्य	5,20,634.00
	कुल –	19,54,469.00	8,32,205.00
5	अन्तशेष	1,42,525.00	14,68,397.00

(च) **बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 – 30420100000797 :–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	2,73,476.00
2	वर्ष में प्राप्ति :–		
(क)	स्वयं का आय	3,67,000.00	2,38,582.00
(ख)	बैंक से सूद	875.00	6,076.00

(198)

	कुल –	3,67,875.00	2,44,658.00
3	कुल आय (1+2)	3,67,875.00	5,18,134.00
4	व्यय :–	94,399.00	2,86,784.00
5	अन्तशेष	2,73,476.00	2,31,350.00

(छ) **सड़क शीर्ष – स्टेट बैंक खाता सं0 – 1143264564 :–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष	85,566.00	7,563.00
2	वर्ष में प्राप्ति बैंक से सूद	1,497.00	405.00
3	कुल आय	87,063.00	7,968.00
4	व्यय	79,500.00	23.00
5	अन्तशेष	7,563.00	7,945.00

(ज) **नाला शीर्ष– स्टेट बैंक खाता सं0 – 01100050701:–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष	2,42,768.13	16,893.13
2	वर्ष में प्राप्ति बैंक से सूद	4,248.00	5,443.70
3	कुल आय	2,47,016.13	22,336.83
4	व्यय (नाला का जीर्णोद्धार)	2,30,123.00	शून्य
5	अन्तशेष	16,893.13	22,336.83

(छ) **भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 – 11432642298:–**

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	प्रारंभिक शेष	77,96,276.46	6,73,685.46
2	वर्ष में प्राप्ति :–		
(क)	सूद से प्राप्त	1,62,462.00	12,903.00
(ख)	कोषागार खाता से स्थानान्तरण	5,25,945.00	23,02,119.00
	कुल –	6,88,407.00	23,15,022.00
3	कुल आय (1+2)	84,84,683.46	29,88,707.00
4	व्यय :–		
(क)	स्व0जय0स0रोज0 योजना में स्थानान्तरण	24,28,353.00	––
(ख)	आई0डी0एस0एम0टी0 योजना में स्थानान्तरण	44,84,100.00	––
(ग)	स्थापना एवं विविध व्यय	8,98,545.00	29,41,420.00
	कुल –	78,10,998.00	29,41,420.00
5	अन्तशेष	6,73,685.46	47,287.00

7. **अन्तशेष :–**

31.03.2010 को विभिन्न मदों की रोकड़बहियों के अनुसार शेष एवं बैंक खातों के अनुसार शेष की स्थिति निम्नलिखित थी:–

क0 सं0	मद	बैंक का नाम	खाता सं0	रोकड़बही के अनुसार शेष (रूपये में)	बैंक खाता के अनुसार शेष (रूपये में)	अन्तर
1	––	कोषागार खाता	–	2,71,19,710.84	2,11,64,403.00	60,55,307.00
2	आई0डी0एस0 एम0टी	बैंक ऑफ बड़ौदा	30420100000796	11,56,355.00	11,56,355.00	शून्य

(197)

3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	,,	30420100000794	11,92,951.00	14,22,506.00	2,29,555.00
4	विविध मदों के लिए	,,	30420100001002	1468397.00	15,26,474.00	58,077.00
5	जेनरल फंड	,,	30420100000797	2,31,350.00	2,31,350.00	शून्य
6	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	,,	30420100000793	69,583.00	69,583.00	शून्य
7	रोड शीर्ष	एस0वी0आई0	1143264564	7,945.00	7,945.00	शून्य
8	नाला शीर्ष	,,	01100050701	22,336.83	22338.13	1.30
9	–	,,	11432642298	47,287.00	अप्रस्तुत	

नगर परिषद द्वारा दोनो शेष के अन्तर (कम सं0 – 1,3,4 एवं 8) का समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया जिसे तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

8. **सरकारी अनुदानः–**

नगर परिषद द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे दिनांक 01.04.2008 को अव्ययित अनुदान की राशि, वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में प्राप्त अनुदान की राशि एवं उससे हुए व्यय तथा दिनांक 31.03.10 को अव्यवहृत अनुदान की राशि का पता नहीं चल सका। अंकेक्षण में प्रस्तुत विभिन्न रोकडबहियों के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कमशः 2,56,50,250.00 रूपया एवं 2,81,60,272.00 रूपया (प्रतिवेदन के परिशिष्ट III पर) का अनुदान प्राप्त हुआ।

अनुदान पंजी का संधारण किया जाय जिससे की विभिन्न अनुदानों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

9. **अनुदान का विचलन**

(I) द्वादश वित्त आयोग की योजना के तहत 18,17,473.00 रूपया से 2 हुपर, 2 टीपर एवं कुड़ा को उठाने के लिए हील वैरोज की खरीद की गयी जिसके भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:–

क0 सं0	आई0डी0एस0एम0टी चेक सं0 एवं दिनांक	राशि (रूपये में)	विवरण
1	501137 दि0 19.01.2009	14,30,460.00	ESS PEE आटोमोटीब, पटना को 2 हुपर, 2 टीपर के लिए भुगतान
2	501139 दि0 19.01.09 बैंक ट्रान्सफर फी (+)	3,85,000.00 2013.00	मे0 आजाद सेल्स पटना को हबील बैरोज के लिए भुगतान
	कुल –	**18,17,473.00**	

खरीद द्वादश वित्त आयोग की योजना के तहत की गयी लेकिन भुगतान आई0डी0एस0एम0टी0 योजना की राशि से की गयी। अतः 18,17,473.00 रूपया का विचलन किया गया, जिसकी प्रतिपुर्ति द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान से की जाय।

(2) **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान का विचलन :–**

(क) 4,35,000.00 रूपया कवीर अन्तयेष्टी योजना के तहत भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि (रूपये में)	विवरण
1	504394	07.04.09	90,000.00	श्री ए0जेड यादव को वितरण के लिए भुगतान
2	504395	,,	90,000.00	श्री एम के मल्लिक को वितरण के लिए भुगतान
3	504396	,,	90,000.00	मो0 इदरीश को वितरण के लिए भुगतान
4	504396	,,	90,000.00	मो0 असलम को वितरण के लिए भुगतान

(196)

5	504398	,,	75,000.00	श्री नागेश्वर यादव को वितरण के लिए भुगतान
		कुल – रू0	**4,35,000.00**	

(ख) द्वादश वित्त आयोग की योजना के तहत मेसर्स पवन पुत्र एजेंसी पूर्णियाँ को 288 CFL वलब पूरा सेट के साथ आपूर्ति करना था जिसमें से 2,19,840.00 रूपया पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की राशि से चेक सं0 0018174दि0 21.09.08 द्वारा भुगतान किया गया।

(ग) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की राशि से वर्ष 2009–10 में कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता के मद में 10,85,817.00 रूपया का भुगतान किया गया जिसमें से कोषागार खाता से दिनांक 15.03.2010 को 8,16,975.00 रूपया पिछड़ा क्षेत्र अनुदान खाता में स्थानान्तरण किया गया। इस प्रकार स्थापना मद में 2,68,842.00 रूपया का विचलन किया गया।

अतः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की राशि से कुल 9,23,682.00 रूपया (4,35,000 +2,19,840 +2,68,842.00) का विचलन किया गया जो कि अनियमित था अतः इसकी प्रतिपुर्ति सम्बन्धित मद से की जाय।

10. द्वादश वित्त आयोग के अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान :–

द्वादश वित्त अयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान के लिए अलग से रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण यह पता नहीं चल सका कि दिनांक 01.04.2008 को इस मद की कितनी राशि बची हुई थी। वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कुल 1,56,96,565.00 रूपया का अनुदान इस मद में प्राप्त हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

क0 सं0	स्वीकृति सरकारी पत्रांक एवं दिनांक	अनुदान की राशि (रूपये में)	रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति की तिथि	बैंक का नाम एवं जमा की तिथि
1	न0वि0वि0 बैंक ड्राफ्ट न0 109551	12,72,849.00	15.05.2008	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 30420100001002 में 15.05.2008
2	118/न0वि0आ0वि0 दि0 10.09.09	1,20,00,000.00	19.03.2010	कोषागार खाता दिनांक 19.03.10
3	1338/न0वि0आ0वि0 दि0 17.03.10	12,11,853.00	29.03.10	कोषागार खाता दिनांक 29.03.10
4	,,	12,11,858.00	,,	,,
	कुल – रू0	**1,56,96,565.00**		

वर्ष 2008–09 में प्राप्त अनुदान 12,72,843.00 रूपया को C.F.L बल्ब (पूरा सेट) की खरीद पर व्यय किया गया।

C.F.L बल्ब 522 पूरा सेट की खरीद पर कुल 15,89,893.00 रूपया का व्यय किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

क0 सं0	चेक सं0 एवं दिनांक	राशि (रूपये में)	विवरण
1	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 1002 का चेक सं0 0018174 दि0 21.09.08	6,60,000.00	मेसर्स पवन पुत्रा एजेंसी पूर्णिया को 288 CFL बल्ब (पूरा सेट) के साथ आपूर्ति करने के लिए अग्रिम।
2	बी0आर0जी0एफ0 चेक सं0 504993 दि0 01.05.2009	2,19,840.00	तथैव अंतिम भुगतान

3	बी0ओ0बी0 चेक सं0 0018175 दि0 21.09.08	5,36,000.00	मेसर्स जे0के0 एलेक्ट्रोनिक्स अररिया को CFL 85 वाट का 234 पूरा सेट के लिए अग्रिम।
4	बी0ओ0बी0 चेक सं0 503545 दि0 15.02.09	1,74,053.00	तथैव अंतिम भुगतान
	कुल – रू0	15,89,893.00	

CFL बल्ब की खरीद के लिए निविदा स्थानीय एजेंसियों से आमंत्रण सूचना 955 दिनांक 19.08.2008 से आमंत्रित किया गया। 6 कोटेशन प्राप्त हुआ जिसमें से मेसर्स पवन पुत्रा एजेंसी, टैक्सी स्टैंड, पूर्णिया एवं मेसर्स जे0के0 एलेक्ट्रोनिक्स, हाई स्कूल कम्पाउन्ड पूर्णिया का सबसे कम एवं एक समान दर (3055.00 रूपया) पाया गया।

आपूर्ति आदेश संख्या 766 दि0 10.09.2008 एवं 765 दिनांक 10.09.2008 से मेसर्स पवन पुत्रा एजेंसी एवं मेसर्स जे0के0 एक्ट्रोनिक्स को क्रमशः 288 नग एवं 234 नग बजाज एवं हैभेल्स कम्पनी का बना हुआ 85 वाट CFL स्ट्रीट लाईट कम्पलीट सेट आपूर्ति एवं पोल में लगाने सहित का आदेश निर्गत किया।

भंडार पंजी के अनुसार मे0 पवन पुत्रा एजेंसी के द्वारा 288 सेट दिनांक 05.10.2008 को प्राप्त हुआ एवं दिनांक 10.11.2008 से 20.11.08 तक सभी 16 वार्डो में 18 सेट के हिसाब से प्रत्येक वार्ड में लगाया गया जिसका प्रमाणपत्र भंडार पंजी के पृष्ट सं0 131 पर वार्ड पार्षदों के द्वारा अलग–अलग दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा दिया गया।

जे0के0 एलेक्ट्रोनिक्स द्वारा आपूर्ति भंडार पंजी (पृष्ट सं0 130) के अनुसार दिनांक 26.10.2008 को किया गया एवं 13 वार्डो में 18 सेट के हिसाब से प्रत्येक वार्ड में लगाया गया, जिसका प्रमाण पत्र वार्ड पार्षदों द्वारा दिया गया।

मेसर्स पवन पुत्रा एजेंसी द्वारा निर्गत सेट के लिए कुछ वार्ड पार्षदों ने बाद में लिखकर दिया कि उनलोगों के द्वारा निर्गत भेपर स्ट्रीट लैम्प सेट लागने के प्रमाण पत्रों में अंकित लेम्प सेट की संख्या में अलग से अंक एवं शब्दों में सेख्या बढ़ाकर धोखाधड़ी एवं सरकारी राशि का गबन किया गया है। कुल 288 सेट के जगह मात्र 199 सेट ही लगाया गया। लगाये गये सभी सेट फ्यूज हो जाने के कारण तत्कालीन मुख्य पार्षद श्रीमति अंजनी जायसवाल एवं उनके पति श्री श्याम जायसवाल ने गारन्टी समयावधि के भीतर भेपर फ्यूज होने के कारण उसे एजेन्सी से बदलवाने के लिए खुलवाकर अपने पास जमा करवालिया जिसे पुनः नहीं लगाया गया।

उपयुक्त आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया द्वारा नगर थाना में जालसाजी एवं सरकारी राशि गबन का आरोप की प्राथमीकि दिनांक 18.12.2009 को दर्ज किया गया। केस न्यायालय में लम्बित है। अंकेक्षण में सम्बन्धित संचिका की छाया प्रति उपलब्ध की गई जिसके आधार पर सभी सूचना एकत्रित की गयी।

अतः न्यायालय द्वारा दायर मुकदमा का फैसला होने तक पवन पुत्रा एजेंसी को भुगतान किया गया कुल 8,79,840.00 रूपया को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

11. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :–**

वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में निम्नलिखित कुल 1,10,25,631.00 रूपया पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मद में जिला परिषद अररिया से प्राप्त हुआ।

क्र0 सं0	**प्राप्ति की तिथि रोकड़बही के अनुसार**	**बैंकर्स चेक सं0 एवं तिथि**	**राशि (रूपये में)**	**बैंक का नाम एवं खाता सं0 जिसमें जमा किया गया तथा जमा की तारीख**
1	09.08.2008	059755 दि0 22.05.08	42,51,731.00	बैंक ऑफ बड़ौदा अररिया खाता सं0 30420100000794 दि0 09.08.08 को जमा

0194

2	06.07.2009	122130 दि0 अनुपलब्ध	27,365.00	तथैव 06.07.09 को जमा
3	06.07.2009	122126 दि0 अनुपलब्ध	4,73,600.00	तथैव
4	06.01.2010	610684 दि0 अनुपलब्ध	35,63,800.00	तथैव 06.01.2010 को जमा

(i) जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए 7 योजनायें अनुमोदित कर नगर परिषद अररिया को भेजा गया जिसका प्राकलित राशि कुल 46,50,000.00 रूपया था। अनुमोदित योजना के लिए वर्ष 2008–09 में बैंकर्स चेक सं0 059755 दिनांक 22.05.08 से 42,51,731.00 रूपया जिला परिषद के द्वारा भेजा गया। फिर वर्ष 2009–10 में वर्ष 2007–08 के योजना के लिए 4,73,600.00 रूपया बैंकर्स चेक सं0 122126 से जिला परिषद द्वारा भेजा गया। नगर परिषद अररिया द्वारा 46,50,000.00 रूपया के योजना के विरूद्ध 43,03,800.00 रूपया का 7 योजना लिया गया जिसमें एक जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित " वार्ड न0 19 में धर्मशाला के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण" के बदले "वार्ड न0 4 में आर0 हॉसपीटल के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण " कार्य कराया गया। जिला योजना समिति से अनुमोदित योजना के बदले दूसरी योजना का चयन करना अनियमित था। अतः इस योजना पर दिनांक 31.03.10 तक कुल खर्च 4,59,802.00 रूपया अनियमित व्यय था।

(ii) वर्ष2009–10 के लिए 63,00,300.00 रूपया का अनुदान जिला परिषद से प्राप्त हुआ। जिसके लिए नगर परिषद द्वारा आपने वार्षिक कार्य योजना से 25 योजनाओं का चयन किया गया जिसकी प्राकलित राशि 64,85,600.00 रूपया थी। ये सभी चयनित योजना का अनुमोदन जिला योजना समिति से प्राप्त नहीं था। बिना जिला योजना समिति के अनुमोदन के योजना का कार्यान्वयन अनियमित है। इसलिए इन सभी योजनाओं का अनुमोदन जिला योजना समिति से प्राप्त किया जाय, तब तक इन सभी 25 योजनाओं पर दिनांक 31.03.10 तक कुल खर्च 59,50,849.00 रूपया को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

12. **योजनाओं की स्थिति :–**

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कार्यान्वयीत विभिन्न योजनाओं की स्थिति दिनांक 31.03.2010 को निम्नलिखित थी:–

क0 सं0	योजना का नाम	योजना का वर्ष	कुल योजना की संख्या	पूर्ण यो0 की संख्या	अपूर्ण योजना की संख	अपूर्ण योजना की प्राकलित राशि (₹ में)	अूपर्ण योजना पर 31.03.10 तक खर्च (₹ में)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	2008–09	7	1	6	40,47,200	31,00,298.00
2	"	2009–10	25	17	8	23,49,800	18,04,655
3	नाला निर्माण	2009–10	11	10	1	4,80,000	3,65,337
4	रोड निर्माण	2009–10	25	25	शून्य	शून्य	शून्य
5	आई0डी0एस0एम0टी0	2008–09	2	1	1	16,75,500	10,00,000.00
		कुल –	**70**	**54**	**16**	**85,525.00**	**62,70,290**

(अपूर्ण योजनाओं का विवरण परिशिष्ट IV पर)

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कुल 70 योजनाएँ ली गयी जिसमें से 54 योजनाएँ पूर्ण हुई एवं दिनांक 31.03.10 को 16 योजनाएँ अपूर्ण रह गयी। अपूर्ण योजनाओं की प्राक्कलित राशि 85,52,500.

00 रूपया थी जिसके विरूद्ध 62,70,290.00 रूपया दिनांक 31.03.10 तक खर्च हुआ। इन अपूर्ण योजनाओं को समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाय।

13. **आई0डी0एस0एम0टी0 योजना:-**

नगर परिषद अररिया को लघु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना (आई0डी0एस0एम0टी0) के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में कुल 1,49,85,000.00 रूपया प्राप्त हुआ। इसके साथ सरकार ने 199.80 लाख रूपया प्राकलित राशि की 11 योजनाओं को स्वीकृत कर उसकी सूचि भी संलग्न कर भेजा था। शेष राशि 49,95,000.00 रूपया नगर परिषद को अपनी ओर से लगाना था।

अनुदान की स्वीकृति पत्र के अनुसार राशि का व्यय स्वीकृत योजनाओं पर ही किया जाना था। यदि किसी स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो तो उनमें बदलाव की जगह उस योजना से संबंधित अनुदान में दी गयी राशि को अविलंब सरकारी कोष में जमा कर देना था।

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के बीच कुल 7 योजनाएँ ली गयी जिसकी स्थिति दिनांक 31.03.10 को निम्नलिखित थी:-

क0 सं0	योजना का वर्ष	कायान्वयीत कुल योजना	31.03.08 तक कुल खर्च (₹ में)	वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में खर्च (₹ में)	योजना की स्थिति	अपूर्ण योजना की प्रा0 राशि (रूपये में)	अपूर्ण योजन में कुल खर्च
1	2006-07	1	9,45,900	शून्य	पूर्ण-1	शून्य	शून्य
2	2007-08	4	52,77,903	1,55,000	पूर्ण-4	शून्य	शून्य
3	2008-09	2	-	14,60,849	पूर्ण-1 अपूर्ण-1	16,75,500	10,00,000
	कुल-	7	**62,23,803**	**16,15,849.00**	**पूर्ण -6 अपूर्ण-1**		

कुल योग 62,23,803.00 + 1615849.00 = 78,39,652.00

राशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं पर ही किया जाना था, लेकिन स्वीकृत योजनाओं से भिन्न व्यय अन्य उपर्युक्त 7 योजनाओं पर किया गया। इसके घटनोत्तर स्वीकृति के लिए भी प्रयास नहीं किया गया। अतः सरकार से इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाय, तब तक कुल खर्च 78,39,652.00 रूपया को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

14. **नहीं जमा :-**

रोकड़पाल रोकड़बही को लेखापाल रोकड़बही एवं कोषागार लेजर (कोषागार पासबुक के जगह) तथा विभिन्न बैंको के बैंक स्टेटमेंट से मिलान के दौरान पाया गया कि रोकड़पाल द्वारा कर संग्राहक एवं अन्य से प्राप्त 4,57,852.50 रूपया को नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया गया। रोकड़पाल द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस राशि का सीधा व्यय किया गया है तथा इसका अभिश्रव समय-समय पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित है। यद्यपि अंकेक्षण के दौरान

4,57,852.50 रूपये रोकड़पाल के द्वारा नगर परिषद निधि में जमा किया गया (विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट V पर)। वसूली गयी राशि का सीधा विनियोग अनियमित है। अतः भविष्य में इस प्रकिया पर रोक लगायी जाय।

15. एच0रसीद प्रस्तुत नहीं :–

दैनिक वसूली पंजी तथा एच0 रसीद का भंडार पंजी के जॉच के दौरान पाया गया कि मो0 असलम, कर सहायक को एच0 रसीद सं0 3701 से 3800 तक की रसीदबही दिनांक 26.03.2009 को निर्गत किया गया लेकिन उक्त रसीद बही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। दैनिक वसूली पंजी में रसीद सं0 3701 से 3782 तक दर्ज पायी गयी लेकिन रसीद बही प्रस्तुत नहीं होने के कारण उक्त रसीद के द्वारा वसूली गयी राशि का मिलान दर्ज राशि से नहीं किया जा सका।

मो0 असलम द्वारा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी कि उक्त रसीद बही उनके मोटर साईकिल के साथ ही चोरी गयी है। प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिकि दर्ज के बाद मोटर साईकिल एवं रसीद बही थाना द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं थाना में जमा है। अतः थाना से प्राप्त कर इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

16. विविध रसीद का भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं:–

विविध रसीद का भंडार पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अंकेक्षण में यह मालूम नहीं किया जा सका कि वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कुल कितना विविध रसीद बही निर्गत किया गया एवं निर्गत सभी रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत हुआ या नहीं तथा निर्गत रसीद से वसूली गयी सभी राशि नगर परिषद निधि में जमा हुई या नहीं। अंकेक्षण में कुल 18 रसीद बही प्रस्तुत किया गया जिसकी सूची नीचे दी गयी है :–

क0 सं0	रसीद संख्या	कर सहायक का नाम जिसे निर्गत किया गया
1	4701 से 4800	मो0 अतीकुर रहमान
2	5601 से 5700	श्री सत्य नारायण मंडल
3	5801 से 5900	,,
4	4201 से 4300	,,
5	4601 से 4700	,,
6	5501 से 5600	,,
7	5901 से 6000	,,
8	4001 से 4100	,,
9	4401 से 4500	,,
10	4501 से 4600	,,
11	5401 से 5500	,,
12	5301 से 5400	,,
13	5201 से 5300	,,
14	3601 से 3700	,,
15	3501 से 3600	,,
16	5701 से 5800	,,
17	5101 से 5200	,,
18	6701से 6800	,,

उक्त भंडार पंजी को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

17. वाहन सेवा शुल्क की वसूली :–

(19)

बन्दोवस्ती संचिका के अनुसार वर्ष 2009–10 में वाहन सेवा शुल्क की वसुली की बन्दोबस्ती के लिए राज्य स्तरीय कई समाचार पत्रों में कई बार विज्ञापन प्रकाशित करने के बावजूद डाकवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण बन्दोवस्ती नहीं हो सकी। अतः कार्यालय ज्ञापांक 422 दिनांक 01.04.2009 के द्वारा श्री महेन्द्र कुमार मल्लिक, कर संग्रहकर्त्ता को विभागीय वसूली के लिए नियुक्त किया गया लेकिन वसुली के लिए कोई रसीद बही या कूपन निर्गत नहीं किया गया न ही वसुली का कोई टारगेट दिया गया। वर्ष 2008–09 के लिए इसकी बन्दोवस्ती 2,00,101.00 रूपया में हुई थी। रोकड़पाल रोकड़बही के अनुसार इस मद में दिनांक 10.12.2009 तक कुल जमा राशि 1,49,148.00 रूपया थी। अंकेक्षण आपत्ति के बाद 80,000.00 रूपया दि0 05.03.11 को बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 30420100001002 में जमा किया गया। परन्तु रसीद बही/ कूपन की अनुपस्थिति के कारण वास्तविक वसूली की गणना नहीं की जा सकी। इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाय एवं फलाफल से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

18. नये मकानों का कर मूल्यांकन :–

नगर परिषद द्वारा नये मकानों का कर मूल्यांकन पंजी संधारित नहीं किया गया जिससे यह पता नहीं चल सका कि वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कुल कितना नये मकानों का कर मुल्यांकन किया गया। उपलब्ध मुल्यांकन दस्तावेजो के अनुसार वर्ष 2009–10 में कुल 44 नये मकानों का कर मुल्यांकन किया गया। चूकि नगर परिषद द्वारा मॉग एवं वसुली पंजी तथा जेनरल मुल्यांकन पंजी का भी संधारण नहीं किया गया अतः अंकेक्षण में यह पता नहीं चल सका कि इसे मॉग में जोड़ा गया या नहीं। फिर भी कर संग्रहकर्त्ता के पास उपलब्ध हैंड डिमाण्ड रजिस्टर में इसकी इंद्राज की नमूना जॉच करने पर पाया गया कि कुल 13 मकानों का कर मुल्यांकन को हैण्ड डिमान्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया (परिशिष्ट VI) जिससे नये मकानों की कर वसूली आगे संभव नहीं हो पायगी।

अतः नगर परिषद के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आर्कर्षित किया जाता है कि इसकी विस्तृत जॉच की जाय जिससे की नगर परिषद की आय की क्षति न हो।

19. विना नक्सा पास कराये गृह निर्माण :–

नगर पालिका अधिनियम 2007 के नियम 315 के अनुसार विना नक्सा पास कराये (नियम 314 के अनुसार) मकान बनाया अपराध है। चालू प्रकिया के अनुसार नगर परिषद द्वारा 50.00 रूपया प्रति वर्गफीट के दर से नक्सा फी ली जाती है। वर्ष 2009–10 में 44 नये मकानों का कर मुल्यांकन किया गया। नमूना जॉच में पाया गया कि 9 पक्का मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 3065 वर्गफीट था, (विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट VII पर) बिना नक्सा पास कराये बनाया गया एवं नगर परिषद द्वारा बिना इसकी जॉच किये हुए कर मुल्यांकन किया गया जिससे कि नगर परिषद को कुल 1,53,250/– रूपया की क्षति उठानी पड़ी।

अतः सभी नवनिर्मित मकानों की विस्तृत जॉच की जाय एवं इस मद में नगर परिषद को हुई क्षति की गणना कर उसकी वसूली मकान मालिक से किया जाय।

पुनः वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कुल 270 मकानों (145+125) का नक्सा नगर परिषद के द्वारा स्वीकृत किया गया लेकिन स्वीकृत नक्सा में से निर्मित भवनों की संख्या तथा उस पर निर्धारित कर की स्थिति अंकेक्षण में नहीं बताया गया, जिसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

20. **सरकारी भवनों पर बकाया कर :–**

मकान करों की माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर परिषद द्वारा नहीं करने के कारण सरकारी भवनों पर बकाया, कर की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार दिनांक 31.03.2010 तक सरकारी भवनों पर बकाया कर की राशि 22,74,805.00 रूपया थी। अतः बकाया कर की राशि की वसूली के लिए समुचित कदम उठाया जाय।

21. **दूकान का बकाया किराया :–**

नगर परिषद द्वारा निर्मित कुल 13 दूकाने हैं जो कि किराया पर लगा हुआ है। दूकानों के किराया का माँग एवं वसूली पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था। पंजी में केवल वसूली का जिक्र था। उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार दूकानदारों के पास दिनांक 31.03.2010 तक कुल 66,500.00 रूपया किराये के रूप में बकाया था, जिसके वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाया जाय।

22. **माँग व वसूली पंजी:–**

मकान करों का माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण करो की बकाया माँग, चालू माँग और वसूली की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं की जा सकी। पंजी का संधारण नहीं होने के कारण अंकेक्षण यह जानने में असफल रहा कि कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी राशि सही थी या नहीं? कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार मकान करों की माँग, वसूली एवं वकाया की स्थिति निम्नलिखित थी:–

क्र0 सं0		वर्ष 2008–09 (रूपये में)	वर्ष 2009–10 (रूपये में)
1	माँग:–		
(क)	पूर्ववर्ती	54,85,568.25	75,02,772.85
(ख)	चालू	48,33,000.00	48,50,192.00
(ग)	योग	1,03,18,568.25	1,23,52,964.85
2	वसूली :–		
(क)	पूर्ववर्ती	16,24,131.00	22,27,080.85
(ख)	चालू	11,91,664.40	17,14,534.40
(ग)	योग	28,15,795.40	39,41,615.25
3	शेष :–		
(क)	पूर्ववर्ती	38,61,437.25	52,75,692.00
(ख)	चालू	36,41,335.60	31,35,657.60
(ग)	योग	75,02,772.85	84,11,349.60
4	वसूली का प्रतिशत	72.71%	68.09%

अर्थात वसूली का प्रतिशत वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में क्रमशः 72.71% एवं 68.09% था जो कि निर्धारित न्यूनतम वसूली 85 प्रतिशत की सीमा से कम था।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि माँग एवं वसूली पंजी के संधारण के लिए ठोस कदम उठाया जाय तथा वसूली की प्रतिशत को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाय।

23. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं :–**